उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1
संख्या : 12/2024/829/94-1-2024-312(83)/2015
लखनऊ, दिनांक : 20 जून, 2024

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् , 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् , 1908) की धारा 5 और 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से :-

(1) नीचे अनुसूची में दिए गये सेक्टरों/राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये जिला गौतमबुद्ध नगर में नया निबन्धन उप जिला **''दादरी-2''** सृजित करती हैं; तथा

(2) नीचे, उक्त अनुसूची में दिये गये सेक्टरों/राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित कर जिला गौतमबुद्ध नगर के निबन्धन उप जिला **'दादरी'** की सीमाओं में परिवर्तन करती हैं।

अनुसूची

जिला गौतमबुद्ध नगर के निबन्धन उप-जिला दादरी से अपवर्जित किये गये तथा नवसृजित निबन्धन उप-जिला ''दादरी-2'' में सम्मिलित किये गये सेक्टरों/राजस्व ग्रामों की सूची :-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर के नाम					
1.	सेक्टर-01	2.	सेक्टर-02	3.	सेक्टर-03
4.	सेक्टर-04	5.	सेक्टर-10	6.	सेक्टर-15
7.	सेक्टर-16बी	8.	सेक्टर-16सी	9.	सेक्टर-17
10.	सेक्टर-20	11.	टेकजोन-02	12.	टेकजोन-04
13.	टेकजोन-07	14.	ईकोटेक-12	15.	ईकोटेक-13
16.	ईकोटेक-14	17.	ईकोटेक-20	18.	म्यू
19.	म्यू-1	20.	म्यू-2	21.	ज्यू-1
22.	ज्यू-2	23.	ज्यू-3	24.	नॉलेज पार्क-5
25.	स्पोर्ट्स सिटी	26.	स्पोर्ट्स सिटी-2		
राजस्व ग्राम के नाम					
1.	इटहैरा	2.	ऐमनाबाद	3.	खेड़ा चौगानपुर
4.	खोदना खुर्द	5.	खैरपुर गुर्जर	6.	घोड़ी बछेड़ा
7.	चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी	8.	जलपुरा	9.	जुनपत
10.	तुस्याना	11.	डाबरा	12.	देवला
13.	पतवाड़ी	14.	फतेहपुर रामपुर	15.	बिसरख जलालपुर
16.	भनौता	17.	मायचा	18.	मिलक लच्छी
19.	रोजा याकूबपुर	20.	रोजा जलालपुर	21.	रिठौरी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22.	रायपुर बांगर	23.	शाहबेरी	24.	समाउद्दीनपुर
25.	सादोपुर	26.	सादुल्लापुर	27.	सैनी
28.	हल्दौनी				

राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी न्यायालय, जिसने अभी तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया हो, में प्रश्नगत पहले से प्रारम्भ की गयी या किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी (नोट) : यदि किसी प्राधिकरण द्वारा उक्त राजस्व ग्रामों में उपरोक्त के अतिरिक्त नया सेक्टर/सेक्टरों को विकसित किया जाता है तब नये सेक्टर/सेक्टरों की अधिकारिता उस राजस्व ग्राम में होगी, जिसमें ऐसे सेक्टर के क्षेत्रों का बड़ा भाग स्थित है।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 12/2024/829/94-1-2024-312(83)/2015 दिनांक : 20 जून, 2024

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 20 जून, 2024 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या : 12/2024/829/94-1-2024-312(83)/2015 दिनांक : 20 जून, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र० कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र० लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, गौतमबुद्ध नगर।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, मेरठ मण्डल, मेरठ/गौतमबुद्ध नगर वृत्त।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, गौतमबुद्ध नगर।
12. विधायी अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 12/2024/829/94-1-2024-312(83)/2015, dated : 20 June, 2024.

NOTIFICATION

No. 12/2024/829/94-1-2024-312(83)/2015
Lucknow, Dated : 20 June, 2024

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor with effect from the date of publication of this notification in the **Gazette**, is pleased to;

(1) create a new registration sub district **'Dadri-2'** in district Gautam Buddh Nagar by including sectors/revenue villages given in the Schedule below; and

(2) alter the limits of registration sub district **'Dadri'** of district Gautam Buddh Nagar by excluding the areas of sectors/revenue villages given in the said Schedule below;

SCHEDULE

List of sectors/revenue villages excluded from registration sub district Dadri and included in the newly created registration sub district Dadri-2 of district Gautam Buddh Nagar :-

Sector Name of Greater Noida Industrial Development Authority					
1	Sector-01	2	Sector-02	3	Sector-03
4	Sector-04	5	Sector-10	6	Sector-15
7	Sector-16B	8	Sector-16C	9	Sector-17
10	Sector-20	11	Techzone-02	12	Techzone-04
13	Techzone-07	14	Ecotech-12	15	Ecotech-13
16	Ecotech-14	17	Ecotech-20	18	MU
19	MU-1	20	MU-2	21	XU-1
22	XU-2	23	XU-3	24	Knowledge Park-5
25	Sports City	26	Sports City-2		
Revenue Village Name					
1	Ithaira	2	Aimnabad	3	Khera Choganpur
4	Khodna Khurd	5	Khairpur Gurjar	6	Ghodi Bachheda
7	Chipyana Khurd Urf Tigri	8	Jalpura	9	Junpat
10	Tusyana	11	Dabra	12	Devla
13	Patwari	14	Fatehpura Rampur	15	Bisrakh Jalalpur
16	Bhanauta	17	Maycha	18	Milk Lachchhi
19	Roza Yakubpur	20	Roza Jalalpur	21	Rithori
22	Rajpur Bangar	23	Shah Beri	24	Samauddinpur
25	Sadopur	26	Sadullapur	27	Saini
28	Haldoni				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

The Governor further directs that any effect of this notification in any law court, which has used its jurisdiction in relation to the said areas, will not be initiated on any preliminary proceeding or any legal proceeding in question.

Note : If any authority develops new sector/sectors in addition to the above in the said revenue villages, then the jurisdiction of the new sector/sectors will be in the revenue village wherein the larger part of the area of such sector is situated.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।